UPUN010041432026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

फौजदारी विविध वाद संख्या-348/2026

सुलेमान बनाम उ०प्र०सरकार।

<u>23.07.2026</u>:-

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 3 क पर सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

3 क प्रार्थना-पत्र आवेदक/ सुलेमान द्वारा प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का सत्र वाद सं०-168/2022, अ०सं० 357/2021 अन्तर्गत धारा 307,34,419,420 भा०दं०सं०, थाना पुरवा, तथा सत्र वाद सं०-08/2021, अ०सं० 358/2021 अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना पुरवा, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, उन्नाव, के न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि इससे सम्बन्धित अन्य वाद अ०सं० 632/2021 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना पुरवा, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 12, उन्नाव, के न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि उक्त वादों की विषयवस्तु एक ही है तथा आपस में सम्बन्धित है। अतः उक्त वादों को एक ही न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की याचना की गयी।

सम्बन्धित न्यायालयों से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत वाद उक्त न्यायालय में विचाराधीन हैं।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उपर्युक्त वर्णित वादों को एक साथ विचारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः 3 क प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना योग्य है।

आदेश

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 12, उन्नाव, के न्यायालय में विचाराधीन वाद अ०सं० 632/2021 अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना पुरवा, जिला उन्नाव, को विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, उन्नाव, के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है। तद्नुसार 3 क प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

23.07.2026

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.24 14:19:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court